47

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

II/विविध/रीवा/भू.रा/2018/2016

शेषमणि पाण्डेय तनय स्व0 गंगा प्रसाद पाण्डेय उम्र 63 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम लखनपुर तह0 सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) ---आवेदक

<u>बनाम</u>

1-हेमराज पाण्डेय तनय स्व0 जगतदेव प्रसाद पाण्डेय

2-द्वारिका प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 जगतदेव प्रसाद पाण्डेय

3-राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 जगतदेव प्रसाद पाण्डेय

4-मिथलेश प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 जगतदेव प्रसाद पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम सेमरिया तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0 --- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 27-3-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-3-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-3-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदनपत्र बाबत स्थानांतरित किये जाने अपील प्रकरण क्रमांक 939/अपील/14-15 शेषमणि पाण्डेय वगैरह बनाम हेमराज वगैरह न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा(समक्ष श्री मधुकर अग्नेय साहब) नियत पेशी दिनांक 27/03/2018

अन्तर्गत धारा 29(1) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है:-

1- यह कि उपरोक्त उन्मान अपील प्रकरण क्रमांक 939/अपील/14-15 शेषमणि पाण्डेय वगैरह बनाम हेमराज पाण्डेय वगैरह के नाम से अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् मधुकर अग्नेय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 27/03/2018 वास्ते संसोधन एवं आदेश नियत है।

2- यह कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य यह है कि विवादित भूमियां पैतृक है जिनका आपसी बटवारा राजी खुशी से पूर्व में कर दिया गया था। बटनवारा के आधार पर तीनों पक्ष अपने 1/3-1/3 हिस्से पर मौके से काबिज दखील होते चले आये । चूँकि दस्तावेजों में सभी भूमियों पर तीनों

शेषमणिपाण्डेय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / विविधि / रीवा / भूरा / 2018 / 2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 शुक्ला उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 939 / अपील / 2014–15 में नियत पेशी दिनांक 27.3.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 (1) के तहत विविध आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रकरण कमांक 939 / अपील / 2014–15 संचालित होकर उसमें पेशी दिनांक 24.3.17 नियत थी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में उन्हें न्याय मिलने की आशा नहीं है। इसलिये प्रकरण अन्य संभाग में स्थांनातरित किया जावे। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि प्रकरण को स्थानांरित करने हेतु आवेदक को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में स्थनांतरित आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। वैसे भी आवेदक अधिवक्ता द्वारा अभी तक प्रकरण में नकल की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे से यह ज्ञात हो सके कि प्रकरण किस स्टेज पर है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा	

प्रकरण में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ज्ञात हो सके कि प्रकरण में उसे क्यों न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं विविध आवेदन पत्र में दर्शाये आधार तथ्यहीन होने से मानने योग्य नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन पत्र ग्राह्य योग्य नहीं है। अग्राह किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य